भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2149

दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

कृत्रिम गर्भाधान संस्थान

2149. श्री गणेश सिंह:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान संस्थानों की स्थापना के लिए कोई प्रावधान है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन और पशु बीमा के लिए कोई प्रावधान है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में भेजा गया प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क)जी हां। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) योजना के तहत मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क को सुदृढ़ करने के साथ-साथ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (मैत्री) को शामिल करने, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं।

(ख) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जोखिम प्रबंधन और गोपशु बीमा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लागू की जा रही 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना' के तहत जोखिम प्रबंधन और गोपशु बीमा के लिए प्रावधान मौजूद हैं। घटक के तहत देसी/संकर नस्ल के दुधारु पशुओं को कवर किया जाता है।

(ग)और (घ) राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया और योजना के प्रारंभ से 22438.46 लाख रु. की राशि जारी की गई है जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी 2442 लाख रु. की राशि भी शामिल है।

******